पत्रांक 4502 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक: देहरादून:21 जनवरी, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 – 7.9.09
सर्वश्री स्वस्ति स्ट्रेक्चर, एण्ड कन्करीट्स
नियर भूमा निकेतन रुडकी रोड ज्वालापुर, हरिद्वार।
निर्णय का दिनांक– जनवरी 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री राजेन्द्र कुमार अधिवक्ता।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स स्वस्ति स्ट्रेक्चर एण्ड कन्करीट्स निकट भूमा निकेतन रुडकी रोड ज्वालापुर, हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये यह अवगत कराया है कि उनके द्वारा सीमेन्ट, सैण्ड, ग्रिट तथा पानी के द्वारा रेडीमिक्स कंक्रीट का निर्माण किया जाता है जिसमें सीमेन्ट खरीदार/संविदी द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। उनके द्वारा इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है कि क्या उक्त कार्य करयोग्य है यदि हॉ तो, कर की दर क्या होगी? क्या यह कार्य संविदा है, तथ इस सम्बन्ध में इनपुट टैक्स लाभ की स्थिति क्या होगी।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करते हुये अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु का निर्माण करते हुये बिक्री की जा रही है उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी, तथा व्यापारी के द्वारा स्वंय भी 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की जा रही है। इनपुट टैक्स के सम्बन्ध में उनके द्वारा यह अवगत कराया गया है कि संकर्म संविदा वैट अधिनियम की धारा 6(8) के अन्तर्गत ऋणाआत्मक सूची में है। अतः व्यापारी को संकर्म संविदा के लिये कोई आई.टी.सी. अनुमन्य नही होगा।

3. वाद की सुनवाई हेतु फर्म की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुये। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्नों के सम्बन्ध में विधिक स्थिति के सम्बन्ध में अपना मत स्पष्ट किया गया।

4 मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं फर्म अधिवक्ता द्वारा रखे गये तथ्यों तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। व्यापारी के द्वारा विभाग में निर्माण, ट्रेडिंग एवं संकर्म संविदा के लिये पंजीयन प्राप्त किया गया है। व्यापारी के द्वारा रेडीमिक्स कंक्रीट का निर्माण करते हुये क्रेताओं को इसकी बिक्री की जाती है, तथा इसका बिक्रय मूल्य वसूला जाता है। अतः उक्त कार्य उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा(14) तथा धारा 2 की उपधारा (40) से आच्छादित होने के कारण तथा उनके द्वारा बिक्रीत माल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 से आच्छादित न होने के कारण करयोग्य है तथा उक्त माल अधिनियम की किसी भी अनुसूची से आच्छादित न होने के कारण R.N.R. अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर करयोग्य है। व्यापारी द्वारा सीमेन्ट खरीदार/संविदी से प्राप्त करते हुये उसका उपयोग करते हुये रेडीमिक्स कंक्रीट की बिक्री कार्य संविदा होगी अथवा नही होगी, इसका आकलन दोनों पक्षों के मध्य कार्य के लिये होने वाले संविदा की शर्तो के आधार पर ही निश्चित किया जा सकता है। धारा 57 के तहत केवल वास्तविक एवं वर्तमान में अस्तित्व में रहने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा की गयी है, काल्पनिक प्रश्नों की नही। अतः इस सम्बन्ध में कोई मत उपलब्ध

21.01.2010

(3)

नही कराया जा सकता है। जहां तक इनपुट टैक्स की अनुमन्यता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विधिक व्यवस्था मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-6 में प्राविधानित है तथा विधिक व्यवस्था का Interpretation अधोहस्ताक्षरी के स्तर से किया जाना अपेक्षित नही है। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक--पृथक भेजा जाय।

21.01.2010
(वी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 4502/दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
7. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
8. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
9. संख्या-अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई-मेल द्वार प्रेषित कर दें।
10. नेशनल लॉ हाउस बी-2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस-15/5 राज नगर गाजियाबाद।
12. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
13. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
14. विधि-अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

21.01.2010
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

O/C